उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P.POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14—अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या—4644—अ0प्र0—07 / पाकालि / 17—05—अ0प्र0—07 / 15

दिनांक 24 / 10 / 2017

कार्यालय ज्ञाप

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड की दिनांक 30.06.2016 को सम्पन्न हुई विभागीय चयन समिति की बैठक में अवर अभियन्ता श्री कुसुम चन्द्रा (वरि0क्र0—8787) के सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के मोहरबन्द किये गये प्रकरण में **दिनांक 18.10.2017 को सम्पन्न विभागीय चयन की बैठक में, समिति द्वारा इनको तदर्थ प्रोन्नति प्रदान किये जाने की संस्तुति के उपरान्त** उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत तथा पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा घोषित कम्बाइन्ड सीनियारिटी के आधार पर 40% प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत अधोअंकित अवर अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के सम्मुख अंकित इकाई पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी / स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) के पद पर, **'तदर्थ प्रोन्नति'** निम्न तालिकानुसार प्रदान की जाती है:—

क्र0 सं0	अवर अभियन्ता का नाम / पिता का नाम ट्रेड / जन्मतिथि / गृह जनपद / वर्ग / वरि0क्र0	वर्तमान तैनाती स्थान	प्रोन्नति पश्चात् आवंटित डिस्कॉम / इकाई	आवंटित अभिज्ञान सं0
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	श्री कुसुम चन्द्रा / राम औतार वि0 / 15.12.1972 / औरैया / अनु0जाति / 8787	वि0न0परी0ख0, झॉसी	दक्षिणांचल	2016313

2. श्री कुसुम चन्द्रा को सहायक अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के पद पर तदर्थ प्रोन्नति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि मा0 न्यायालय, सी0जे0एम0, झांसी में वाद सं0—2437 / 2008 में विचाराधीन अभियोजन में यदि उन्हें कोई दण्ड मिलता है, तो **तदर्थ प्रोन्नति** स्वतः समाप्त हो जाएगी।
3. ''यह प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका सं0—60876 / 2013 एवं समविषयक योजित अन्य याचिकाओं में पारित अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन है।''
4. सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक / मुख्य अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी उन्हें वर्तमान कार्यभार से कार्यमुक्त करने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें :—
   - **(क)** अवर अभियन्ता के विरूद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
   - **(ख)** अवर अभियन्ता के विरूद्ध विविध प्रकीर्ण धनराशि / प्रत्याप्ति है तो उसकी नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।
5. अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति उपरान्त तैनाती आदेश वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुसार ही जारी किये जायें।
6. उपरोक्त अवर अभियन्ता प्रोन्नति आदेश निर्गत होने से **एक माह के भीतर** अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। **एक माह के भीतर** कार्यभार ग्रहण न करने वाले अवर अभियन्ता के विषय में यह मानते हुए कि वह प्रोन्नति लेने में इच्छुक नही हैं, कारपोरेशन स्तर से अग्रेतर कार्यवाही कर दी जायेगी।
7. सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे उपरोक्त सहायक अभियन्ता (प्रोन्नत) की तैनाती उ0प्र0पा0का0लि0 में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति एवं जनहित याचिका सं0—79 / 1997 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगें।

8. प्रोन्नत अधिकारी को वर्तमान कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

9. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित प्रोन्नत अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा निर्गत आदेश सं0–5910–गोपन/पाकालि(06)/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन प्रस्तुत कर चुका हो।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या :–4644–अ0प्र0–07/पाकालि/2017/तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
7. मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण–प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु अवश्यक व्यवस्था करें।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. उप सचिव (अ0प्र0–03/04/गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
12. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा),उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. अनुभाग अधिकारी (अ0प्र0–03/04), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
14. संबंधित अधिकारीगण।
15. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
उप सचिव (07)